



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237398
CG-DL-E-20072022-237398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3095]
No. 3095]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

सं. 22/2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 05 के आईटीसी (एचएस) कोड 05119999 के अंतर्गत मद हेतु आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 3255(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 05 के अंतर्गत मद की नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
05119999	अन्य:— अन्य	मुक्त	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुसंधान उद्देश्यों को छोड़कर मानव भ्रूण का आयात निषिद्ध है।	सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार मानव भ्रूण का आयात “निषिद्ध” है।

2. अधिसूचना का प्रभाव :

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार आईटीसी (एचएस) 051199 99 के अंतर्गत मानव भ्रूण का आयात “निषिद्ध” है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विधि-82/एम-05/पीसी-2(क)/ई-1251]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एव पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2022

No. 22 /2015-2020

Subject : Amendment of import policy conditions for item under ITC(HS) Code 05119999 of Chapter 05 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy).

S.O. 3255(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of item under Chapter 05 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) as follows :-

ITC(HS) code	Item Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
0511 99 99	Other:---- Other	Free	Import of Human Embryo is Prohibited except for research purposes based on the guidelines of the Department of Health Research.	Import of Human Embryo is “Prohibited” in accordance with The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and The Surrogacy (Regulation) Act, 2021.

2. Effect of the Notification:

Import of Human Embryo under ITC (HS) 05119999 is “Prohibited” in accordance with The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and The Surrogacy (Regulation) Act, 2021.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-82/AM-05/PC-2[A]/E-1251]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.